

प्रपत्र – एम.एम. 12 (20वाँ)

त्रैमासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला अधिकारी

..... से माह/वर्ष की विवरणी :-

- (1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते
- (2) पट्टे का विवरण खनिज का नाम
- (3) पट्टे की अवधि क्षेत्रफल..... एकड़ों में, ग्राम तहसील जिला
- (4) नियोजित श्रमिकों की संख्या कुशल अकुशल.....

महीनों का नाम	खनिज का नाम	महीना/त्रैमास में उत्पादन	महीना/त्रैमास में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5
स्वामित्व और देय स्वामित्व की नियत दर	त्रैमास में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति	
6	7	8	9	

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या कुशल अकुशल.....

(5) इमारती पत्थर (स्टोन) की खान की दशा में, खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य-प्रणाली की एक अद्यतन प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

स्थान

पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

दिनांक

के हस्ताक्षर और मोहर

प्रतिलिपि :- (1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।

(2) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।